रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 19, 1989/आषाढ़ 28, 1911

No. 131] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 19, 1989/ASADHA 28, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1989

संकल्प

संख्या 13-33/85-सी.एच.आर. (ए.सी.)—याचिका संख्या 1171 (सी.आर.एल.). 1982 में, अपने दिनांक 6-2-1984, 27-9-85 और 3 12-1986 के निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने ऐसे मानदंड और सिद्धान्त निर्धारित किए हैं जिनका अनुपालन किया जाना चाहिए और वह प्रक्रिया भी निर्धारित की है जिसे बच्चों के अन्तर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण के प्रत्येक मामले में अपनाया जाना चाहिए। इन मानदंडों, सिद्धांतों और प्रक्रिया के सुविधाजनक कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार, जन साधारण, स्वयंसेवी संगठनों और इस विषय से संबंधित अन्य सभी की सूचना और मार्गदर्शन के लिए इस संकल्प के अनुबंध-1 के अनुसार, बच्चों के दत्तक ग्रहण के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करती है।

अनुबन्ध 1

कल्याण मंत्रालय

भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण संबंधी मामलों के विनियमन हेतु दिशा निर्देश

1 उद्देश्य एवं लक्ष्य :—भारत सरकार का मत है कि समाज का कल्याण, उसका विकास काफी हद तक उसके बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण पर निर्भर करता है। भारत के संविधान में इस बात की व्यवस्था की गई है कि राज्य अन्य बातों के साथ-साथ, अपनी नीति में स्वास्थ्यकर तरीकों से बच्चों के विकास की सुविधाएं प्रदान करने और स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा के माहौल में रहने की व्यवस्था करेगा और बच्चों और युवकों को, शोषण और नैतिक तथा आर्थिक परित्याग के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करेगा। राष्ट्रीय बाल नीति यह भी स्वीकार करती है कि राष्ट्र के बच्चे सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति है और उनका पोषण और देखभाल राष्ट्र का दायित्व है।

1.2 बच्चों के विकास के लिए परिवार सहायता की आवश्यकता :—यह एक मान्य तथ्य है कि बच्चे का संतुलित विकास, भावनात्मक शारीरिक और बौद्धिक, परिवार में ही अच्छी तरह से सुनिश्चित किया जा सकता है, या जहां यह संभव नहीं है ऐसे बच्चों—जिनमें अनाथ, परित्यक्त उपेक्षित और शोषित बच्चे शामिल हैं, की देखभाल और संरक्षण पारिवारिक वातावरण में करने की जिम्मेदारी मुख्यतः परिवार, समुदाय और आस समाज की है। तथापि परिवार संस्था सहित अधिकांश परंपरागत संस्थानों में शहरीकरण औद्योगिकीकरण और विकास की सामान्य प्रक्रिया के कारण परिवर्तन हो रहे है, बच्चे को पारिवारिक सहायता सदैव उपलब्ध नहीं होती। अतः निराश्रित बच्चों को संस्थागत और गैर-संस्थागत सहायता प्रदान करने का उत्तरदायित्व समुदाय, समाज और राज्य का बन जाता है। परम्परागत रूप से हमारा समाज धर्मार्थ संस्थाओं और गैर संस्थागत कार्यकलापों के द्वारा अनाथ और निस्सहाय बच्चों को संरक्षण प्रदान करता रहा है। दत्तक ग्रहण संरक्षण और पोषण, देखभाल जैसी सेवाएं गैर संस्थागत माध्यम से निस्सहाय बच्चों को उपलब्ध होती रही है। सामाजिक ढांचे में तीव्र परिवर्तन होने से और अन्य संबंधित कार्यों के फलस्वरूप ऐसे बच्चों की संख्या में वृद्धि हो रही है जिन्हें देखभाल, संरक्षण

और पुनर्वास की आवश्यकता है। अत: ऐसे बच्चों के पोषण के लिए केवल संस्थागत और गैर-संस्थागत सुविधाओं में विस्तार करना ही आवश्यक नहीं है परन्तु बाल कल्याण संबंधित सभी कार्यक्रमों को नियमित व सुचारू रूप से चलाना और उनकी मोनिटरिंग करना भी आवश्यक है ताकि सभी बाल कल्याण कार्यक्रमों के लिए न्यूनतम मानक सुनिश्चित किया जा सके। गैर संस्थागत तरीकों में से, बच्चे को परिवार में गोद लेने से बच्चे के हित बहुत सुरक्षित हो जाते हैं। यह भी एक स्वीकार्य तथ्य है कि बच्चा अपनी संस्कृति और सामाजिक वातावरण में अच्छा विकास करता है। अत: बच्चों का अपने निजी वातावरण में ही किसी अच्छे परिवार द्वारा दत्तक ग्रहण करना उसके विकास के लिए सर्वोत्तम है। अन्तर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण अथवा भारतीय बच्चों को भावी विदेशी माता-पिता द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए केवल ऐसी अवस्था में देना चाहिए जबकि भारत में भावी माता-पिता उपलब्ध कराने के सभी प्रयास असफल हो जाएं। सामान्यत: चाहे स्वदेश में हों या विदेश में, दत्तक ग्रहण से संबंधित सभी मामलों में बच्चे का कल्याण एवं हित सर्वोपरि होना चाहिए।

1.3 दत्तक ग्रहण की प्रणाली की समीक्षा :—अन्तर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण के मामलों में अपनाई गई वर्तमान कार्यप्रणाली और प्रथाओं की विस्तृत समीक्षा उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए अपने दिनांक 6 फरवरी, 1984, 27 सितम्बर 1985 और 3 दिसम्बर 1986 के निर्णयों में की गई है। यह निर्णय श्री लक्ष्मीकांत पाण्डेय द्वारा दायर रिट याचिका संख्या (सी आर एल) 1171/1982 के संबंध में दिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के सावधानीपूर्वक अध्ययन के बाद कल्याण मंत्रालय भारत सरकार सामान्य रूप से बाल कल्याण को प्रोत्साहित करने विशेषकर दत्तक ग्रहण के माध्यम से बच्चे के विकास को सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित दिशा निर्देश निर्धारित करती है :—

राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के प्रशासनों की भूमिका

2.1 बालगृहों की सूची :—राज्य सरकारें (राज्य सरकारें शब्द में जहां कहीं लागू हों केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन शामिल होंगे) विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत लाइसेंसशुदा पंजीकृत अथवा मान्यता प्राप्त बालगृहों व सभी संस्थाओं की जिनमें निजी व अशासकीय संस्थाएं सम्मिलित होंगी जो निराश्रित, परित्यक्त, अनाथ, किशोर अपराधी और उपेक्षित बच्चों के लिए चलाई जा रही हैं, एक सूची रखेंगी।

2.2 दत्तक ग्रहण एजेंसियों की सूची :—राज्य सरकारें देश में और देश से बाहर बच्चों के दत्तक ग्रहण से संबंधित सभी एजेंसियों की अलग से एक सूची रखेंगी।

2.3 दत्तक ग्रहण एजेंसियों का निरीक्षण :—राज्य सरकारें देश में और देश के बाहर दत्तक ग्रहण से संबंधित सभी एजेंसियों और संगठनों और बच्चों की सेवाओं से संबंधित कार्यकलापों/गतिविधियों से संबंधित सभी कागजों, दस्तावेजों का समय-समय पर निरीक्षण निम्न जांच करने हेतु करेंगी :—

(1) कि संस्था द्वारा दत्तक ग्रहण का कार्य बच्चे के हित में एक कल्याण कार्य के रूप में किया जा रहा है न कि व्यापार के रूप में।

(2) गृहों में दाखिल किए गए बच्चों का उचित रिकार्ड रखा जा रहा है।

(3) दाखिल किए गए बच्चों को उनकी देखभाल, संरक्षण, शिक्षा और विकास के लिए न्यूनतम मापदण्ड के आधार पर सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

(4) बच्चे को दत्तक ग्रहण करने या संरक्षण में लेने में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की सूची साफ्टता और नियमित रूप से रखी जा रही है।

(5) संगठन के लेखे रखे जा रहे हैं और बिना विलम्ब के लेखा परीक्षा कराई जाती है। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट संतोषजनक है, विदेशों से प्राप्त धनराशि प्राप्त करने वाले संगठन गृह मंत्रालय के साथ यथा विधि पंजीकृत हैं और उन्होंने विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 का अनुपालन किया है।

(6) संगठन विदेशों में दत्तक ग्रहण करने से पहले देश में दत्तक ग्रहण हेतु प्रोत्साहन के लिए सभी प्रयास कर रहा है।

(7) संगठन दत्तक ग्रहण में दिए गए बच्चों के हितों के संबंध में नियमित प्रगति रिपोर्ट प्राप्त कर रहा है और देश में और देश से बाहर उनके हितों के संरक्षण हेतु पर्याप्त अनुवर्ती उपाय करता है, और

(8) बच्चों की देखभाल के लिए सामाजिक कार्य का अनुभव रखने वाले स्टाफ को रखा जाना जारी है।

2.4 दत्तक ग्रहण समीक्षा समिति :—प्रत्येक राज्य सरकार, एक दत्तक ग्रहण समीक्षा समिति की स्थापना करेगी और उस में राज्य सरकार का प्रतिनिधि अध्यक्ष होगा। इस समिति में मान्यताप्राप्त भारतीय व्यवस्था एजेंसियों, जांच एजेंसियों और आवश्यकतानुसार दत्तक ग्रहण और बाल कल्याण मामलों के विशेषज्ञों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बाल कल्याण उपायों विशेषकर, देश में बाल दत्तक ग्रहण की प्रोन्नति के उपायों के संबंध में विचार करने हेतु समिति की समय-समय पर बैठक होंगी। राज्य सरकारें दत्तक ग्रहण कार्य के समन्वय, विनियमन और विकास और दत्तक ग्रहण समीक्षा समिति को सभी सहायता प्रदान करने के लिए समाज कल्याण निदेशालय में दत्तक ग्रहण सैल की स्थापना भी करेंगी।

2.5. निष्पादन का प्रबोधन :—इन एजेंसियों के कार्यकरण का प्रबोधन तथा मूल्यांकन करने के लिए राज्य सरकार दत्तक ग्रहण में कार्यरत सभी एजेंसियों से प्रत्येक तिमाही में सूचना तथा आंकड़े मंगवाएंगी। ये आंकड़े इस प्रयोजन हेतु निर्धारित किए जाने वाले प्रपत्र में मंगवाए जाएंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण की तुलना में अन्तरदेशीय बाल दत्तक ग्रहण को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारें सभी उपाय करेंगी जो आवश्यक हों तथा दत्तक ग्रहण के माध्यम से अनाथालयों में रह रहे बच्चों के पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत निर्धारित कार्रवाई

3.1. सभी नर्सिंग गृहों तथा अस्पतालों, धार्मिक संस्थाओं इत्यादि सहित यदि किसी व्यक्ति, एजेंसी अथवा संगठन को परित्यक्त अथवा निराश्रित बच्चे कहीं नजर आते हैं अथवा वे ऐसे बच्चों को अपने परिसरों/क्षेत्रों में परित्यक्त पाएं अथवा अन्यथा, वे ऐसे बच्चों की प्राप्ति अथवा मिलने से संबंधित सूचना, जहां ऐसे नर्सिंग होम अथवा अस्पताल राज्य की राजधानी में स्थित हैं, तुरन्त संबंधित सरकार के समाज कल्याण विभाग को देंगे तथा अन्य मामलों में जिले के कलैक्टर को देंगे तथा ऐसी सूचना की प्रतियां पालन पोषण देखभाल गृह, जहां कहीं ऐसा गृह सरकार द्वारा चलाया जा रहा हो, और साथ ही उस नगर अथवा कस्बे में कार्य कर रही मान्यताप्राप्त नियोजन एजेंसियां, जहां कहीं ऐसे नर्सिंग गृह अथवा अस्पताल स्थित हों और किशोर न्याय अधिनियम 1986 के अन्तर्गत गठित किशोर कल्याण बोर्ड को भी भेजेंगे। समाज कल्याण विभाग तथा साथ ही जिले का कलक्टर भी इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ध्यान देगा कि उनके कार्यक्षेत्र में अपने वाले नर्सिंग गृह तथा अस्पताल इत्यादि इस निदेश का पालन करें और यदि आवश्यक हो तो परित्यक्त अथवा निराश्रित बच्चों का पता लगने/मिलने के संबंध में सूचना, यदि किसी विशेष नर्सिंग गृह अथवा अस्पताल द्वारा पालन-पोषण देखभाल गृह तथा मान्यताप्राप्त नियोजन एजेंसियों को न भेजी गई हो, तो उन्हें समाज कल्याण विभाग तथा जिले के कलेक्टर द्वारा भेजी जाएगी।

3.2. प्राधिकृत व्यक्तियों इत्यादि द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया :— यदि किसी व्यक्ति, एजेंसी अथवा संगठन जिन्हें परित्यक्त अथवा निराश्रित बच्चा मिलता है अथवा सौंपा जाता है, को राज्य सरकार द्वारा परित्यक्त/छोड़े गए बच्चे की देखभाल के लिए प्राधिकृत किया गया है तो ऐसा व्यक्ति, एजेंसी अथवा संगठन परित्यक्त शिशु के संबंध में किशोर न्याय अधिनियम, 1986 अथवा किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत उपेक्षित किशोर के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई करेगा तथा शिशुओं के मामले में उचित टैग लगाकर बच्चे की पर्याप्त पहचान भी सुनिश्चित करेगा।

3.3. प्राधिकरण हेतु आवेदन :— बाल कल्याण कार्यकलापों में कार्यरत कोई व्यक्ति, एजेंसी अथवा संगठन जो परित्यक्त शिशुओं अथवा उपेक्षित किशोरों की देखभाल करना चाहता है अथवा जो सुरक्षित स्थान अथवा योग्य व्यक्ति/संस्था के रूप में कार्य करना चाहता है, किशोर न्याय अधिनियम, 1986 अथवा किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित राज्य सरकार को आवेदन करेगा।

3.4. सूचियां बनाना तथा परिचालित करना :— राज्य सरकार ऐसे सभी व्यक्तियों, एजेंसियों अथवा संगठनों की सूची बनाएगी जिन्हें किशोर न्याय अधिनियम, 1986 अथवा किसी कानून के अन्तर्गत परित्यक्त बच्चों अथवा उपेक्षित किशोरों की देखभाल करने अथवा सुरक्षित स्थानों अथवा योग्य व्यक्तियों संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है और इन सूचियों को उन पुलिस अधिकारियों तथा किशोर कल्याण बोर्डों को भेजेगी जिनकी सीमा के अन्तर्गत ये व्यक्ति, एजेंसियां अथवा संगठन स्थित हैं।

3.5. बच्चे की व्यक्तिगत उपस्थिति :— किसी परित्यक्त अथवा निराश्रित बच्चे के मिलने अथवा अधिकार में लिए जाने के बारे में किशोर कल्याण बोर्ड अथवा किसी अन्य उपयुक्त प्राधिकारी को सूचित करते समय उक्त बच्चे को किशोर कल्याण बोर्ड अथवा किसी अन्य उपयुक्त प्राधिकारी के सम्मुख उपस्थित करना आवश्यक नहीं है जब तक कि किशोर कल्याण बोर्ड अथवा किसी अन्य उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा ऐसा निदेश न दिया जाए।

3.6. योग्य व्यक्ति/संस्था पर नियंत्रण :— राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि यदि नर्सिंग गृह, अस्पताल, धार्मिक संस्था इत्यादि सहित किसी व्यक्ति, एजेंसी अथवा संगठन को बच्चे की बिक्री, खरीद, दुर्व्यवहार, अत्याचार में आसक्त पाया जाए अथवा जिस बच्चे के देखभाल की किसी भी रूप में जिम्मेदारी ली हो उसकी देखभाल में उपेक्षा करते हुए पाया जाए, तो कानून के अनुसार उस व्यक्ति (यों) के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा।

बाल दत्तक ग्रहण में कार्यरत भारतीय एजेंसियों की भूमिका

4.1. प्राधिकारियों के साथ सूचीकरण :— बच्चे की देखभाल एवं अभिरक्षा अथवा दत्तक ग्रहण कार्य, अथवा अनाथों, परित्यक्तों, निराश्रितों, उपेक्षितो अथवा छोड़ दिए गए बच्चों से संबंधित किसी अन्य कार्यकलाप में कार्यरत प्रत्येक संस्था तुरन्त प्रत्येक को संबंधित राज्य सरकार के साथ सूचीबद्ध करवाएगी।

4.2. दत्तक ग्रहण का कार्य केवल मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा किया जाना :—अन्तर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण कार्य करने का इच्छुक कोई भी भारतीय मान्यताप्राप्त करने हेतु भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय को आवेदन करेगा और केवल वही एजेंसियां जो भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से मान्यताप्राप्त है, अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण कार्य करेंगी।

4.3 बाल कल्याण पर बल :- केवल ऐसी एजेंसियां ही अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण के लिए मान्यताप्राप्त करने हेतु कल्याण मंत्रालय को आवेदन करें जो मुख्यतः बच्चों के विकास तथा प्रोन्नति के लिए बाल कल्याण कार्यक्रमों में कार्यरत हों तथा जो दत्तक ग्रहण को अपने समग्र कार्यकलापों का एक भाग मानती हों।

4.4 भावी दत्तक ग्राही माता-पिता की सूची :— दत्तक ग्रहण में व्यवस्था कार्य करने के लिए मान्यताप्राप्त प्रत्येक समाज/बाल कल्याण संगठन नियमित रूप से सभी भावी माता-पिता की सूची बनाएगा जिसमें उनके नाम, पते, बाल दत्तक ग्रहण करने हेतु संगठन से सम्पर्क करने की तारीख तथा अन्य प्रासंगिक ब्योरा होगा।

4.5 देश के अन्दर दत्तक ग्रहण का संवर्द्धन :- प्रत्येक मान्यता प्राप्त एजेंसी बच्चे के एक भारतीय परिवार द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए सभी संभव प्रयास करेगी तथा भावी दत्तकग्राही परिवार को बच्चे के संबंध में सम्पूर्ण विवरण देगा परन्तु यदि मान्यताप्राप्त एजेंसी को बच्चे के वास्तविक माता-पिता के नाम व पते मालूम भी हों तो भी दत्तकग्राही परिवार को यह नहीं बताए जाएंगे।

4.6 संवर्द्धन प्रयासों का रिकार्ड :- प्रत्येक मान्यताप्राप्त एजेंसी कालक्रमानुसार उसके द्वारा बच्चे के एक भारतीय अभिभावक द्वारा दत्तक ग्रहण के संबंध में किए गए प्रयासों का पूरा रिकार्ड रखेगी और यदि किसी बच्चे के भारतीय अभिभावक द्वारा न अपनाए जाने या दत्तक ग्रहण करने का मामला सामने आता है तो दत्तक न लेने के कारणों का भी रिकार्ड रखा जाएगा।

4.7 केस इतिहास :— प्रत्येक मान्यताप्राप्त व्यवस्था एजेंसी प्रत्येक बच्चे के संबंध में एक अलग फाइल रखेगी और इसमें बच्चे के केस का सम्पूर्ण इतिहास रहेगा।

4.8 प्राधिकारियों को मासिक/त्रैमासिक आंकड़े प्रस्तुत करना :— प्रत्येक मान्यताप्राप्त व्यवस्था एजेंसी जिस राज्य में कार्यरत है उस राज्य की सरकार को मासिक आंकड़े प्रस्तुत करेगी तथा भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय को त्रैमासिक विवरण भेजेगी। ये आंकड़े और विवरण एक निर्धारित प्रपत्र में दिए जाएंगे जो गोद लेने के लिए भारतीयों और अन्यों को दिए गए बच्चों से संबंधित होगा।

भारतीय एजेंसियों को मान्यता

5.1. आवेदन पत्र के लिए प्रपत्र :— अन्तर-देशीय दत्तक ग्रहण कार्य के लिए भारत सरकार से मान्यता प्राप्त करने की इच्छुक किसी भी भारतीय सामाजिक/बाल कल्याण एजेंसी को भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। यह आवेदन पत्र उस राज्य के समाज कल्याण संबंधी विभाग के माध्यम से भेजा जाना चाहिए जिसमें यह एजेंसी कार्यरत है।

5.2. गैर मान्यता प्राप्त एजेंसियों पर रोक :— कोई भी ऐसी एजेंसी जिसके पास कल्याण मंत्रालय से मान्यता का प्रमाण पत्र नहीं है, किसी भारतीय न्यायालय में अभिभावक और संरक्षक अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत एक भारतीय बच्चे के लिए एक विदेशी को अभिभावक घोषित करने के लिए आवेदन पत्र नहीं दे सकेगी।

5.3 विनिर्दिष्ट अवधि के लिए मान्यता :- कल्याण मंत्रालय सामान्यतः किसी भी एजेंसी को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए मान्यता देगा। मान्यता प्रमाण-पत्र जारी होने तक मंत्रालय द्वारा इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है।

54. देश के अन्दर दत्तक ग्रहण का स्तर :— प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्वच्छिक एजेंसी का यह कर्तव्य होगा कि वह कम से कम अपनी मान्यता के प्रथम वर्ष के दौरान गोद लेने/अभिभावकत्व के रूप में की गई व्यवस्था में से कम से कम 25 प्रतिशत बच्चों को भारतीय घरों के अन्दर ही स्थान दिलवाये। देश के अन्दर बच्चों को गोद लिए जाने या अभिभावकत्व का यह स्तर मान्यता के तीसरे वर्ष तक बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया जाएगा। यदि एजेंसी उपरिलिखित आंकड़ों के अनुसार देश के अन्दर बच्चों के दत्तक ग्रहण के कार्य में असफल रहती है तो एजेंसी को दी गई मान्यता वापस भी ली जा सकती है। तथापि मान्यता वापस लेने से पूर्व ऐसी एजेंसी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे।

5 5 मान्यता की शर्तें – मान्यता प्राप्त करने की इच्छुक एजेंसी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी –

(क) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत यह सोसायटी पंजीकृत हो या धर्मार्थ न्यास अधिनियम के अन्तर्गत न्यास बनाया गया हो अथवा संगत किसी उपयुक्त कानून के अन्तर्गत पंजीकृत हो ।

(ख) संगठन राज्य सरकार द्वारा बाल कल्याण संगठन के रूप में यथाविधि सूचीबद्ध हो ।

(ग) इसकी यथाविधि गठित कार्यकारिणी समिति हो । संगठन के मुख्य कार्यकारी के अतिरिक्त बोर्ड/कार्यकारिणी के अधिकांश सदस्य भारतीय हों ।

(घ) यह राज्य सरकार द्वारा यथाविधि सूचीबद्ध संगठन हो जिसके पास शिशु सहित बच्चों के संरक्षण तथा भरण-पोषण की समुचित व्यवस्था हो ।

(ङ) संगठन पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक दान द्वारा धन-राशि एकत्रित करने में सफल हुआ हो ।

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान संगठन बच्चों के कल्याण में कार्यरत रहा हो ।

5.6 एजेंसी लेखा रखेगी – (1) एजेंसी प्रत्येक वर्ष सनदी लेखाकार द्वारा लेखा-परीक्षण के लिए उपयुक्त लेखे रखेगी ।

(2) प्रत्येक एजेंसी लेखा-परीक्षित लेखा की एक फोटो प्रति के साथ सनदी लेखाकार द्वारा लेखा-परीक्षित लेखा की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट को लेखा-परीक्षण के बाद एक माह के भीतर संबद्ध राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग को तथा कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को भेजेगी ।

5 7 आवेदन पत्र पर केवल पंजीकृत एजेंसी द्वारा कार्रवाई – एक विदेशी या एक भारतीय को विदेश में भारतीय बच्चे के संरक्षक घोषित करने के आवेदन पत्र पर केवल मान्यताप्राप्त भारतीय एजेंसी द्वारा ही कार्रवाई की जाएगी ।

5 8 आवेदन पत्र सूचीबद्ध विदेशी एजेंसी द्वारा प्रायोजित हो — मान्यताप्राप्त भारतीय एजेंसी विदेशी दत्तक ग्राही माता-पिता का आवेदन पत्र किसी भारतीय न्यायालय में भारतीय बच्चे का संरक्षण विदेशी को सौंपने के संबंध में दे सकती है बशर्ते ऐसे विदेशी आवेदन पत्र भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध विदेशी स्वैच्छिक संगठन द्वारा अग्रेषित किया गया हो । यदि विदेश में भारत सरकार द्वारा स्वामित्व वाले या संचालित संगठन हो तो विदेशी दत्तक ग्राही माता-पिता विदेशी सरकार द्वारा संचालित या स्वामित्व वाली ऐसी एजेंसी के माध्यम से मान्यताप्राप्त भारतीय एजेंसी से सम्पर्क कर सकते हैं ।

5 9 अनुमोदित विदेशी एजेंसियों से सहव्यवहार के लिए भारतीय मान्यताप्राप्त एजेंसियां –कोई भी मान्यताप्राप्त भारतीय एजेंसी केवल भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध विदेशी एजेंसी के अतिरिक्त किसी विदेशी या विदेशी व्यक्ति के प्रतिनिधि से भारतीय बच्चे के दत्तक ग्रहण के लिए सीधे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं करेगी ।

5 10 एजेंसी का निरीक्षण –मान्यताप्राप्त भारतीय एजेंसियों का परिसर, जिसमें उनके बालगृह तथा उनका रिकार्ड शामिल है भारत सरकार के अधिकारियों के लिए किसी भी समय निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा ।

बच्चों के दत्तक ग्रहण में कार्यरत विदेशी एजेंसियों की भूमिका

6 1 विदेशी एजेंसी भारतीय दूतावासों को आवेदन करे . –विदेशी दत्तक ग्राही माता-पिता भारतीय बच्चे दत्तक ग्रहण के लिए आवेदन पत्र को प्रायोजित करने की इच्छुक विदेशी सामाजिक बाल कल्याण एजेंसी उस देश में भारतीय दूतावास के कार्यालय में भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रार्थना पत्र देगी तथा केवल ऐसी विदेशी एजेंसी जो भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए सूचीबद्ध की गई है, यह कार्रवाई करेगी ।

6 2 विदेश ले जाए गए बच्चे के अधिकार –विदेशी माता-पिता द्वारा उस देश के कानूनों के अनुसार बच्चे के दत्तक ग्रहण के पश्चात् यह माना जाएगा कि बच्चे को स्वाभाविक रूप से पैदा हुए बच्चे की तरह समान सामाजिक स्तर, उत्तराधिकार, विरासत तथा वहीं राष्ट्रीयता प्राप्त होगी जो कि बच्चे को दत्तक ग्रहण करने वाले माता-पिता की है।

6 3 भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध कोई विदेशी सामाजिक बाल कल्याण एजेंसी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति से भारत में प्रतिनिधि नियुक्त कर सकती है बशर्ते ऐसा प्रतिनिधि –

1–भारतीय नागरिक हो,

2–समाज कल्याण कार्य में अर्हता प्राप्त हो तथा बाल कल्याण में अनुभव रखता हो ।

3–केवल एक सूचीबद्ध विदेशी एजेंसी का प्रतिनिधि हो ।

4–अपना कार्यक्षेत्र को भारत में किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित रखता हो, तथा

5–सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से विदेशी सूचीबद्ध संगठन के नाम पर भारत में बैंक खाता चलाने का प्राधिकार रखता हो ।

6 4 सभी सूचीबद्ध विदेशी एजेंसियां निर्धारित प्रपत्र में उस देश जहां एजेंसी स्थित है, में भारतीय दूतावास के माध्यम से कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को अर्द्ध-वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी ।

7 1 स्वैच्छिक समन्वयकारी एजेंसियां – राज्य या बड़े शहरों में जहां अनेक सामाजिक या बाल कल्याण एजेंसियां हैं एक केन्द्रीकृत समन्वयकारी संगठन होगा तथा प्रत्येक सामाजिक बाल कल्याण एजेंसी दत्तक ग्रहण के लिए उपलब्ध बच्चों के संबंध में केन्द्रीकृत एजेंसी को सूचनाएं उपलब्ध करवाएगी । राज्य सरकार स्वैच्छिक समन्वयकारी एजेंसी के गठन के लिए आवश्यक उपाय करेगी ।

7 2 वार्षिक बैठक –कल्याण मंत्रालय पारस्परिक हित के मामलों पर विचार करने तथा ऐसे अन्य मामलों, जो कि आवश्यक तथा उचित समझे जाएं, पर विचार-विमर्श के लिए सभी स्वैच्छिक समन्वयकारी एजेंसियों की बैठक प्रतिवर्ष आयोजित करेगा ।

7 3 सदस्य एजेंसियां प्रतिमास दत्तक ग्रहण के लिए उपलब्ध बच्चों के ब्यौरे स्वैच्छिक समन्वयकारी संगठन को भेजेंगी । स्वैच्छिक समन्वयकारी संगठन ऐसे बच्चों के नाम तथा ब्यौरे दर्शाने वाला रजिस्टर रखेगा तथा इसके अतिरिक्त वह भारतीय दत्तक ग्राही माता-पिता का रजिस्टर रखेगा । स्वैच्छिक समन्वयकारी संगठन सभी सदस्य एजेंसियों के ब्यौरे परिचालित करेगा ताकि प्रत्येक संगठन सभी बच्चों के संबंध में उस भारतीय परिवार को जो बच्चे के दत्तक ग्रहण के लिए किसी भी एजेंसी से संपर्क करता है पूरा विवरण उपलब्ध करा सके ।

विविध

8 1 दिशा निर्देशों का उल्लंघन –यदि किसी राज्य सरकार या विदेश में किसी भारतीय दूतावास के ध्यान में यह आता है कि कोई मान्यताप्राप्त भारतीय एजेंसी या सूचीबद्ध विदेशी संगठन इन दिशा-निर्देशों के सभी या किसी प्रावधान को नहीं मान रहा है या इस प्रकार कार्य कर रहा है जो सामान्यतः बच्चे के हित में नहीं है तो उसके ब्यौरे सहित तुरन्त कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को सूचित करेगा ।

8.2 मान्यता वापस लेना :- किसी भारतीय एजेंसी या किसी विदेशी एजेंसी को सूचीबद्धता मान्यता की अवधि के दौरान भारत सरकार के विवेक पर रद्द करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया हो।

8.3 दिशा निर्देशों में संशोधन : —कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार अपने विवेक पर इन दिशा-निर्देशों में से ऐसे संशोधन, परिवर्धन, रद्द कर सकता है या परिवर्तन कर सकता है जो कि समय-समय पर आवश्यक समझे जाएं।

आशा दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WELFARE

New Delhi, the 4th July, 1989

RESOLUTION

No. 13-33|85-CHR(AC).—In their Judgements dated 6-2-1984, 27-9-1985 and 3-12-1986 in Writ Petition (CRL) No. 1171 of 1982 the Supreme Court have laid down the norms and principles that must be observed and the procedure that must be followed in every case of inter-country adoption of children. In order to facilitate the implementation of these norms, principles and procedures, the Government of India hereby issue guidelines on adoption children as per Annexure-I to this Resolution for the information and guidance of general public, voluntary agencies as well as all others concerned with the subject matter.

ANNEXURE-I

MINISTRY OF WELFARE

GUIDELINES TO REGULATE MATTERS RELATING TO ADOPTION OF INDIAN CHILDREN

PREAMBLE :

1.1. Aims and Objects.—The Government of India recognises that the welfare of society, its growth and development depends to a great extent on the health and well-being of its children. The Constitution of India provides that the State shall direct its policy towards securing, inter alia that children are given facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity, and that chlidhood and youth are protected against expolitation and against moral and material adandonment. The National Policy for Children also recognises that the nation's children are a supremely important asset and that their nature and solicitude is the responsibility of the nation.

1.2. Need for Family Support for Development of Children.—It is an accepted fact that the balanced development of a child—emotional, physical and intellectual—can be best ensured within the family, or where this is not possible, in familial surroundings. The responsibility for providing care and protection to children including those who are orphaned, abandoned, neglected and abused rests primarily with the family, the community and society at large. However, since many traditional institutions including the family structure are undergoing changes on account of urbanisation, industrialisation and the general process of development, family support to a child is not always available. It, therefore, becomes the responsibility of the community, of society and of the State to provide both institutional and non-institutional support to destitute children. Traditionally, our society has been providing support through charitable institutions and non-institutional activities like adoption, guardianship and foster care. Due to rapid changes in the social structure and other related factors, the number of children who need care, protection and rehabilitation is on the increase. It is, therefore, necessary not only to expand both institutional and non-institutional facilities for the nurture of such children, but also to regulate and monitor all programmes so as to ensure minimum standards in all child welfare activities. Among non-institutional modes, the interest of the child can best be served through adoption in a family. Further, it is also an accepted fact that the child develops best in his or her own cultural and social milieu. Thus, placement of a child through adoption in an indigenous setting would be ideal for his or her growth and development. Inter-country adoption, i.e., adoption of Indian children by adoptive parents residing abroad, should be resorted to only if all efforts to place the child with adoptive parents residing in India prove unsuccessful. Generally in all matters concerning adoption, whether within the country or abroad the welfare and interest of the child shall be paramount.

1.3. Review of Adoption Procedures.—The existing procedures and practices followed in the cases of inter-country adoption were thoroughly reviewed by the Supreme Court in their judgements dated 6th February, 1984, 27th September 1985 and 3rd December, 1986 respectively in Writ Petition (CRL) No. 117|1982 by Shri Laxmi Pant Pandey. The Government of India after careful study of the Supreme Court Judgements hereby resolves to lay down the following guidelines for all concerned with a view to promote the welfare of children in geenral, and in particular, through adoption.

ROLE OF THE STATE GOVERNMENT|UNION TERRITORY ADMINISTRATIONS

2.1. List of Children's Homes.—The State Governments (the term "State Government" shall include Union Territory Administration wherever applicable) shall maintain a list of all Children's Homes being run for the maintenance of destitute, abandoned, orphaned, delinquent or neglected children by voluntary|private orgainsations which are registered, recognized or licenced under various laws.

2.2. List of Adoption Agencies.—The State Governments shall also separately maintain a list of all agencies handling in-country and inter-country adption of children.

2.3. Inspection of Adoption Agencies.—The Govments shall periodically inspect all agencies and institutions handling in-country and inter-country adoptions as well as papers, documents, activities

onnected with the services of children generally n order to verify :—

(i) that adoption as an activity is being pursued by the organisation as a welfare measure in the interest of the child and not as a commercial activity;

(ii) that proper records are being maintained for children admitted to the Homes;

(iii) that the children admitted are provided with at least basic minimum standards for their care, protection, education and development;

(iv) that lists of persons interested in adopting a child or taking a child under guardianship are being maintained by the organisation regularly;

(v) that the accounts of the organisation are being maintained and audited annually without delay; that the auditor's reports are satisfactory; that any organisation which is in receipt of foreign funding is duly registered with the Ministry of Home Affairs and has otherwise complied with the provisions of the Foreign Contributions (Regulation) Act, 1976;

(vi) that the organisation is making all efforts to encourage in-country adoptions and find parents for such children in India before resorting to inter-country adoption;

(vii) that the organisation is receiving regular progress reports about the well-being of children given in adoption and takes adequate follow-up measures to safeguard their interest within the country and out side; and

(viii) that qualified staff having social work experience continue to be employed to take care of the children.

2.4. Adoption Review Committee.—Each State Government shall set up an Adoption Review Committee chaired by a representative of the State Government. This Committee shall also include representatives of recognized Indian placement agencies, scruitnising agencies and as many experts in adoption and child welfare matters as are considered necessary. The Committee shall meet periodically to discuss child welfare measures, especially ways and means to promote in-country adoption of children. The State Government may also set up an Adoption Cell in the Directorate of Social Welfare to co-ordinate, regulate and develop the work of adoption and to render all assistance to the Adoption Review Committee.

2.5. Monitoring of Performance.—The State Government shall call for information and data every quarter from all agencies engaged in adoption in order to monitor and evaluate the functioning of these agencies. The data shall be called for in a proforma to be prescribed for this purpose.

The State Governments shall take all such measures as are deemed necessary to actively encourage in-country adoption of children in preference to inter-country adoption and special attention shall be paid for rehabiliation of children in orphanages through placement by adoption.

ACTIONS PRESCRIBED UNDER THE JUVENILE JUSTICE ACT 1986

3.1 If any person, agency or organisation including all nursing homes and hospitals, religious institutions etc., come across abandoned or destitute children or find such children abandoned in his|their precincts or otherwise they shall immediately give information in regard to the discovery or find of such children to the Social Welfare Department of the concerned Government where such nursing homes or hospitals are situated in the capital of the State and in other cases to the Collector of the District and copies of such intimation will also be sent to the Foster Care Home where there is such a home run by the Government as also to the recognised placement agencies functioning in the city or town where such nursing homes or hospitals are situated and the Juvenile Welfare Board set up under the Juvenile Justice Act, 1986. The Social Welfare Department as also the Collector of the District will take care to ensure that this direction is followed by the nursing homes and hospitals etc., within their jurisdiction and if necessary intimation in regard to the discovery or find of abandoned or destitute children, if not sent by any particular nursing home or hospital to the Foster Care Home and the recognised placement agencies, shall be forwarded to them by the Social Welfare Department and the Collector of the District.

3.2 Procedure to be followed by authorised person etc.—If the person, agency or organisation who finds or takes the custody of an abandoned or destitute child has been authorised by the State Government to take charge of the abandoned|relinquished child, such person, agency or organisation shall take such action with regard to the abandoned infant as is required for dealing with neglected juvenile under the provisions of the Juvenile Justice Act, 1986 or any other law and also adequately identify the child with proper tag in case of infants.

3.3 Application for authorisation.—Any person, agency or organisation engaged in child welfare activities which intends to take charge of abandoned infants or neglected juveniles or to function as a place of safety or fit person|institution shall apply to the State Government concerned under the provisions of the Juvenile Justice Act, 1986 or any other law.

3.4 Maintenance and circulation of lists.—The State Government shall maintain a list of all such persons, agencies or organisation who have been authorised to take charge of abandoned children as neglected juveniles, or to function as places of safety or fit persons|institutions under the provisions of the Juvenile Justice Act, 1986 or any other law and shall furnish

the same to the police authorities and Juvenile Welfare Boards under whose limits these persons, agencies or organisations are located.

3.5 Personal appearance of child.—While intimating or reporting to the Juvenile Welfare Board or any other appropriate authority about the finding or coming in possession of an abandoned or destitute child, the personal appearance of the said child before the Juvenile Welfare Board or any other appropriate authority may not be necessary unless so directed by the Juvenile Welfare Board or any other appropriate Authority.

3.6 Control over fit person institution.—The State Government shall ensure that if any person, agency or organisation, including a nursing home, hospital, religious institution, etc., is found to indulge in sale, purchase, abuse, cruelty to or neglect of a child taken charge of in any manner strict action is taken against the individual(s) involved in accordance with law.

ROLE OF INDIAN AGENCIES ENGAGED IN ADOPTION OF CHILDREN

4.1 Listing with Authorities.—Every institution engaged in care and custody of children or in adoption work or any other activity related to orphaned, abandoned, destitute, neglected or relinquished children shall immediately get itself listed with the concerned State Government.

4.2 Only regognized agencies to undertake Adoption.—Any Indian desirous of undertaking inter-country adoption work shall apply for recognition to the Ministry of Welfare, Government of India and only such agencies as are recognised by the Ministry of Welfare, Government of India shall undertake inter-country adoption work.

4.3 Emphasis on child welfare.—Only such voluntary agencies as are primarily engaged in child welfare programmes for the growth and development of children and which undertake adoption as a part of their total activities may apply for recognition for inter-country adoption to the Ministry of Welfare.

4.4 List of prospective adoptive parents.—Every Social|Child Welfare organisation recognised for placement work in adoption shall regularly maintain a list of all prospective parents containing their names, addresses, date on which they have approached the organisation for taking a child in adoption and other relevant details.

4.5 Promotion of in-country adoption.—Every recognised agency shall make all efforts to find a placement for the child in adoption by an Indian family and shall also give all details about the child, including full details to the prospective adoptive family. except the name and address of the child's biological parents, where known to the recognised agency.

4.6 Record of promotion efforts.—Every recognised agency shall keep a complete chronological record of the efforts made by it for loacting an Indian parent for the adoption of a child and shall specifically note down the reasons for any case of non-adoption of child by an Indian parents.

4.7 Case history.—Every recognised placement agency shall maintain separate file for each child with the child's complete case history.

4.8 Monthly quarterly data to be furnished to authorities.—Every recognised placement agency shall furnish monthly data to the Government of the State in which the agency is operating and a quarterly statement to the Ministry of Welfare, Government of India in such proforma as is prescribed by the Government in respect of children given to Indians and others for adoption.

RECOGNITION OF INDIAN AGENCIES

5.1 Proforma for application.—Any Indian Social| Child Welfare agency desirous of obtaining recognition from the Government of India for undertaking inter-country adoption work shall submit an application in the prescribed from to the Ministry of Welfare, Government of India, through the Department dealing with Social Welfare in the State in which the agency is located.

5.2 Un-recognised agencies barred.—No agency which does not hold a certificate of recognition from the Ministry of Welfare shall submit an application to an Indian Court under the Guardians and Wards Act, 1890, for declaring a foreigner as a guardian of an Indian child.

5.3 Recognition for specified period.—The Ministry of Welfare shall generally grant recognition to an agency for a specified period. This period may be extended by the Ministry pending issue of a recognition certificate.

5.4 Level of in-country adoption.—It shall be obligatory on the part of every recognised voluntary agency to arrange at least 25 per cent placements of children by way of adoptions|guardianship in Indian homes out of total placements effected by it by way of adoptions|guardianship in the first year of its recognition, and this level of in-country adoptions| guardianship shall bo raised to 50 per cent by the third year of its recognition. The recognition is liable to be revoked in cases where the recognised agency fails to arrange in-country adoptions upto the figures stipulated above provided a reasonable opportunity of hearing has been given to the agency concerned before such recognition is revoked.

5.5 Conditions for recognition.—The voluntary agency which seeks recognition shall generally fulfil the following conditions :—

(a) It shall be a society registered under the Societies Registration Act, or a Trust created under the Charitable Trust Act; or an organisation registered under an appropriate law;

(b) The organisation shall be duly listed with the State Government as a child welfare organisation;

(c) It shall have a duly constituted Executive Committee; the Chief Executive of the organisation as well as the majority of mem-

bers of the Board|Executive Committee should be Indian Nationals;

(d) It shall be an organisation duly listed with the State Government with appropriate arrangements for the protection and up keep of children, including infants;

(e) The organisation should have been able to raise funds through public donations during the last three years; and

(f) The organisation should have worked for the welfare of children during the last three years.

5.6 Agencies to maintain accounts.—(i) An agency shall maintain proper accounts to be audited by a Chartered Accountant every year.

(ii) A photostat copy of audited accounts together with audit report shall be furnished by every agency within one month from the date accounts have been audited by the Chartered Accountant, to the Social Welfare Department of the State Government concerned and to the Ministry of Welfare, Government of India.

5.7 Application to be processed only by recognised agencies.—An application for declaring a foreigner or an Indian to be the guardian of an Indian child as a prelude to adoption in a foreign country shall be processed only by a recognised Indian agency.

5.8 Application to be sponsored by enlisted foreign agencies.— A recognised Indian agency may submit an application of a foreign adoptive parent to an Indian Court for awarding the guardianship of an Indian child to a foreigner provided the application of such foreigner has been forwarded by a foreign voluntary agency enlisted by the Government of India. However, if there is an agency owned or operated by the Government in a foreign country, the foreign adoptive parents can approach a recognised Indian agency in India through such agency operated or owned by the foreign Government.

5.9 Indian agencies recognised to deal with approved foreign agencies.—No recognised Indian agency shall entertain any direct application for adoption of an Indian child from a foreigner or the foreigner's representative, except through a foreign agency 'enlisted' by the Government of India.

5.10 Inspection of agencies.—The premises of the recognised Indian agencies, including their Children Homes, and their records shall be open to inspection by officials of the Government of India and|or officials of the State Government at any time.

ROLE OF FOREIGN AGENCIES ENGAGED IN ADOPTION OF CHILDREN

6.1 Foreign agencies to apply to India's diplomatic missions.—A foreign Social|Child Welfare agency desirous of sponsoring applications of a foreign adoptive parents for adopting an Indian child shall make an application for enlistment with Government of India in the office of India's Diplomatic Mission in that country and only such foreign agencies as are enlisted for this purposes by the Government of India shall undertake this activity.

6.2 Rights of child taken abroad.—On adoption of the child by the foreign parent according to the law of his|her country, it is presumed that the child would acquire the same status as a natural born child with the same rights of inheritance or succession and the same nationality as the foreign parent adopting the child.

6.3 Any foreign Social|Child Welfare agency enlisted by the Government of India may appoint a representative in India with the prior approval of the Ministry of Welfare, Government of India provided that such representative :—

(i) is an Indian citizen;

(ii) is qualified in social work and possesses experience in child welfare;

(iii) represents only one foreign enlisted agency;

(iv) restricts his sphere of operation to a particular geographical area in India; and

(v) possesses the authority to operate a banking account in India in the name of the foreign enlisted organisation with the permission of the competent authorities.

6.4 All foreign enlisted agencies shall submit a half-yearly report in the prescribed proforma to the Ministry of Welfare, Government of India through India's Diplomatic Mission in the country where the agency is located.

VOLUNTARY CO-ORDINATING AGENCIES

7.1 Voluntary co-ordinating agency.—There shall be a centralized co-ordinating agency in the State or even in a large city where there are several social or child welfare agencies and each Social|Child Welfare agency shall provide information to the centralized agency in regard to the children available with it for adoption. The State Government shall take such measures as deemed necessary for the Constitution of Voluntary Co-ordinating Agency (VCA).

7.2 Annual meeting.—The Ministry of Welfare shall arrange every year a meeting of all Voluntary Coordinating Agencies for discussing matters of mutual interest and such other matters as are considered necessary and expedient.

7.3 The member agencies will send to the V.C.A. every month particulars of Children available with it for adoption. The V.C.A. shall maintain a register showing the names and particulars of such children and in addition it will maintain a register of Indian adoptive parents. The V.C.A. will circulate particulars to all the member agencies so that each agency is able to give full and detailed information in respect of all children to an Indian family which approaches any agency for the adoption of a child.

MISCELLANEOUS

8.1 Violation of guidelines.—If it comes to the notice of any State Government or any of India's Diplomatic Missions abroad that a recognised Indian agency or an enlisted foreign agency respectively is not observing all or any of the provisions of these guidelines, or is otherwise functioning in a manner which is not in the interests of children generally, it shall inform, the Ministry of Welfare, Government of India, immediately with details thereof.

8.2 Withdrawal of recognition.—The recognition granted to any Indian agency or the enlistment of any foreign agency may be revoked during the period of recognition at the discretion of the Government of India, provided a reasonable opportunity has been given to the agency concerned to be heard before such recognition/enlistment is revoked.

8.3 Amendment to guideline.—The Ministry of Welfare, Government of India, shall at its discretion, make such amendments, additions, deletions or alterations in these guidelines as are deemed necessary from time to time.

ASHA DAS, Jt. Secy.

2002 GI/89 -2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989